Cost of Tender Form Rs.400/-

निविदा संख्या...10/2014-15

Receipt No. & Date ....

निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः 24.12.2014 व समय दोपहर 12.00 बजे तक.
निविदा खोलने की तिथिः 24.12.2014 .व समय अपरान्ह् 2.00 बजे

परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

RAJASTHAN STATE OPEN SCHOOL

Dr. Sarvapalli Radha Krishnan, Shiksha Sankul,
Jawahar Lal Nehru Marg
Jaipur (Raj.) 302015

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015
फोन : 2700425 फैक्स : 0141 – 2705067

अल्पकालीन निविदा सूचना

निविदा संख्याः–............10/2014–15

अनुमानित निविदा मूल्यः– 30 लाख रूपये
दिनांक 17.12.2014 से 16.12.2015 तक की अवधि के लिए स्वयं वाहन मालिकों/अनुभवी परिवहनकर्ताओं से निम्न कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैः–

क्र. सं	Name of Work कार्यो का नाम	संदर्भ केन्द्र व परीक्षा केन्द्रों की संख्या	Earnest Money बयाना राशि	Validity विधि मान्यता	Delivery Period सुपुर्दगी की अवधि
1	राजस्थान के समस्त जिलों में स्थापित संदर्भ केन्द्रों में लगभग 80 हजार शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यसामग्री व परीक्षा केन्द्रों में लगभग एक लाख परीक्षार्थियों के लिए उत्तरपुस्तिकाओं के वितरण हेतु परिवहन कार्य	संदर्भ केन्द्र = 460 परीक्षा केन्द्र = 325 (अनुमानित) Comman = 138 (उक्त संदर्भ केन्द्रों में 138 ऐसे संदर्भ केन्द्र है जो परीक्षा केन्द्र भी है।)	60,000	90 Days	पाठ्यसामग्री एवं उत्तरपुस्तिका प्राप्ति के 15 दिवस में

(1) बयाना राशि के बिना निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

(2) निविदा फार्म इस कार्यालय से निर्धारित शुल्क रूपये 400./– प्रति निविदा जमा करवा कर दिनांक 17.12.2014 से दिनांक 23.12.2014 तक कार्य दिवसों में एवं कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेगें। निविदाएँ विभागीय वेबसाईट **www.rsos.rajasthan.gov.in** एवं **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर भी प्रकाशित कर दी गई है। अतः यदि निविदादाता उचित समझे तो विभागीय वेबसाइट से भी निविदा फार्म एवं शर्ते आदि डाउन लोड कर निर्धारित शुल्क 400./– रूपये का जयपुर शहर में देय बैंकर चैक/ड्राफ्ट जो निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के पक्ष में हो फार्म के साथ संलग्न कर निविदा प्रेषित कर सकते है।

(3) निविदाएं मुहरबंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से पाठ्यसामग्री एवं उत्तरपुस्तिका वितरण हेतु परिवहन कार्य के लिए निविदा, लिखा हो। दिनांक 24.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए।

(4) सील बन्द लिफाफे को व्यक्तिशः कार्यालय के निविदा बॉक्स में अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015 में दिनांक 24.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक भिजवाया जा सकता है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

(5) आरएसओएस न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है तथा वह किसी भी निविदा को या उसके किसी भाग को बिना कोई कारण बतायें रद्द कर सकता है।

निदेशक
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल
जयपुर

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

पुस्तकों के परिवहन हेतु इन शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए तथा इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदा फार्म जो इस कार्यालय से एवं कार्यालय की वेब साईट से प्राप्त किये जायेंगे वे ही मान्य होंगे। उक्त साधनों के अतिरिक्त अन्य साधनों यथा फोटो स्टेट प्रति पर भरी निविदाएं मान्य नहीं होंगी। निविदा प्रपत्र टंकित अथवा स्याही पैन/बालपैन से भरा जाना चाहिए। पैन्सिल से भरा निविदा प्रपत्र मान्य नहीं होगा।

2. निविदा फार्म इस कार्यालय से निर्धारित शुल्क रूपये 400/– प्रति निविदा जमा करवाकर दिनांक 17.12.2014 से दिनांक 23.12.2014 तक कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे। निविदाएँ विभागीय वेब साईट www.rsos.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan gov.in पोर्टल पर भी प्रकाशित कर दी गई हैं।

3. निविदादाता उचित समझे तो विभागीय वेब साईट एवं पोर्टल से भी निविदा प्रपत्र, प्राईस बिड एवं शर्ते डाउन लोड करने के पश्चात निर्धारित शुल्क 400/– (प्रति निविदा) का बैंकर चैक/ड्राफ्ट जो निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के नाम से जारी हों एवं ऐसी बैंक पर आहरित होना चाहिए जो जयपुर (शहर) स्थित क्लीरियंग हाऊस का सदस्य हो, निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा रद्द समझी जावेगी।

4. निविदादाता को चाहिए कि वह अपनी भरी हुई निविदा उपरोक्त शर्त सं. – 3 की स्पष्टतः पालना करते हुए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, डॉ0एस0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, बजाज नगर, जयपुर–302015 के पते पर व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा दिनांक 24.12.2014 को दोपहर 12.00 बजे तक व्यक्तिशः जमा/पहुँच जानी चाहिए। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा एवं वह स्वतः ही रद्द समझी जावेगी।

5. निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि रूपये 60,000/– (अक्षरे रूपये साठ हजार मात्र) का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के नाम से आवश्यक रूप से संलग्न होना चाहिए। बयाना राशि यदि विभाग में नकद जमा करवाई जाती है तो उसकी रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा। बिना बयाना राशि अथवा निर्धारित राशि से कम राशि की बयाना राशि प्राप्त होती है तो निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

6. (i) निविदा की दरें किलोग्राम के आधार पर जिलेवार प्रस्तुत करनी होगी जिसमें समस्त कर एवं व्यय सम्मिलित होने चाहिए।

   (ii) दरें शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां (**Errors**) कटिंग अथवा उपरिलेखन (ओवर राइटिंग) नहीं होना चाहिए। यदि कोई त्रुटि हो भी जाए तो पूर्व अंकन काट कर दूसरी प्रविष्टी अलग से स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

   (iii) पुस्तकों की लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य ट्रांसपोर्ट कम्पनी/परिवहन फर्म द्वारा करवाया जाऐगा। परिवहन की दरें, स्थानीय कर, बिल्टी चार्जेज के सहित स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए।

7. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो ऐसी शर्ते मान्य नहीं होंगी एवं वह स्वतः ही निरस्त मानी जायेंगीं, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति में विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो।

8. निविदादाता (ठेकेदार) अपनी निविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाड़े (सब लेट) पर नहीं देगा।

9. निविदादाता/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कराने की अनैतिक चेष्टा की जाती है तो ऐसे निविदाकार की निविदा को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

10 निविदादाता के पास परिवहन विभाग का रोड परमिट एवं परिवहन कार्य करने की आवश्यक अनुमति होना आवश्यक हैं, जिसे निविदादाता को निविदा भरते समय भी निविदा में उक्त की प्रति संलग्न करना आवश्यक हैं।

11. सफल निविदादाता को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से कार्य संबंधी आदेश प्राप्त करने होगें तथा मुद्रित सामग्री राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के गोदाम से आदेशित सामग्री गिनकर प्राप्त करनी होगी। प्राप्त सामग्री को मजबूत पॉलीपैक में आवश्यकतानुसार पैकिंग के पश्चात् इनका कांटे पर वजन RSOS. द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष करवाना होगा तथा वजन का प्रमाणिकरण भी उक्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात इन्हें गन्तव्य स्थान/स्थानों पर शीघ्रता से निर्धारित समय सीमा में पहुंचाना होगा, जिसके लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के कार्यालय से सफल निविदादाता को समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये जावेगें एवं चाहें तो सफल निविदादाता भी व्यक्तिशः राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के कार्यालय से निर्देश प्राप्त कर सकेगें। मुद्रित सामग्री राजस्थान राज्य में स्थापित सन्दर्भ/नोडल केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों पर भेजनी होगी।

12. भेजी गयी सामग्री संबंधित सन्दर्भ/नोडल केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों पर समुचित रूप से सुरक्षित ढंग से पहुंचे इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित निविदादाता की होगी। निविदादाता यदि उचित समझे तो सामग्री का दुर्घटना/क्षति आदि के लिए बीमा करवा सकता है। बीमा पर होने वाला व्यय निविदादाता द्वारा ही किया जावेगा। परिवहन के दौरान सामग्री को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचता हैं तो उस संबंध में पुस्तकों का मूल्य एवं निदेशक राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा निर्धारित पैनल्टी की वसूली परिवहन कम्पनी से की जावेगी।

13. निविदादाता परिवहन कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 5 दिवस में अपने परिवहन कार्य के बिल एवं बिल्टियां मय सामग्री प्राप्ति रसीद जिस पर संदर्भ केन्द्र प्रभारी/परीक्षा केन्द्र प्रभारी का पदनाम एवं सील एवं दिनांक सहित अंकित हो 3 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। सामग्री सही/समुचित रूप से पहुंचाने की सन्तुष्टि के पश्चात् ही बिलों का भुगतान किया जावेगा।

14. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर निविदा में अंकित कार्य अनुमोदित फर्म (निविदादाता) से नहीं करवाता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा/राशि का कार्य करवाता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

15. कार्य की अनुमानित लागत 30.00 लाख रूपये संभावित हैं जिसमें कमी अथवा वृद्धि परिस्थितियों के अनुसार की जा सकती हैं।

16. सामग्री की पैकिंग/लोडिंग/परिवहन एवं अनलोडिंग के समय सामग्री, खराब/क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। वर्षा, आंधी आदि से बचाने के लिए तिरपाल आदि से ढकने की व्यवस्था समुचित ढंग से करनी होगी, ताकि पुस्तकें/प्रपत्र आदि वर्षा से खराब न हों अन्यथा निविदादाता को क्षतिपूर्ति करनी होगी।

17. निविदादाता को कार्य का अग्रिम भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। कार्य सन्तोषप्रद ढंग से पूर्ण होने पर सामग्री की प्राप्ति रसीद निविदादाता द्वारा बिल के साथ प्रस्तुत करने पर 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया जायेगा। तथा शेष 20 प्रतिशत भुगतान कार्य पूर्ण होने पर किया जाऐगा। निविदादाता के भुगतान से स्त्रोत पर आयकर की कटौती आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिल पर की जाऐगी। बिल पर पेन नम्बर अंकित नहीं होने एवं पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न नहीं होने की दशा में 20% आयकर की कटौती की जावेगी।

18. (i) राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा सामग्री उपलब्ध कराने की दिनांक से 15 दिवस में आदेशित संदर्भ केन्द्रों (राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर के सन्दर्भ केन्द्रों पर) में निर्धारित स्थान पर पहुँचानी आवश्यक है। कार्यादेश निदेशक/सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा लिखित अथवा दूरभाष पर दिया जा सकता है।

(ii) सामग्री उपलब्ध होने पर फर्म को रजिस्टर्ड डाक अथवा दूरभाष से सूचित किया जावेगा एवं रजिस्टर्ड डाक अथवा दूरभाष पर सूचना की दिनांक से सामग्री RSOS.से उठाकर संदर्भ केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों पर भेजनी होगी।

19. उपरोक्त निर्धारित समय में सामग्री नहीं पहुंचाई जाती है तो विभाग अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था से सामग्री पहुँचाने की कार्यवाही कर सकेगा। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा किये गये अधिक व्यय की वसूली अनुबंधित निविदादाता से की जावेगी।

20. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर निम्नानुसार लिक्विडेटैड डेमेजेज भी वसूल किया

जायेगा।

1. निर्धारित अवधि में चौथाई अवधि तक विलम्ब होने पर 2.5 प्रतिशत ।
2 चौथाई अवधि से अधिक तथा आधी अवधि तक विलम्ब होने पर 5 प्रतिशत
3. आधी अवधि से तीन चौथाई अवधि तक विलम्ब होने पर 7.5 प्रतिशत
4. तीन चौथाई अवधि से निर्धारित अवधि के बराबर तथा अधिक होने पर अधिकतम 10 प्रतिशत।

यदि अनुमोदित ट्रांसपोर्टर/कोरियर एजेंसी, कोई प्राकृतिक/नैसर्गिक बाधा उत्पन्न होने की स्थिति में (जो नियन्त्रण से परे की हो) परिवहन कार्य पूर्ण करने के लिए समय बढ़ाने की अपेक्षा करे तो वह इसके लिए निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर को निर्दिष्ट कालावधि पूर्ण होने से पूर्व लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिस पर निदेशक RSOS. अपने सम्यक विवेकानुसार निर्णय ले सकेगा एंव उसका निर्णय/निश्चय अंतिम एवं मान्य होगा। समयावृद्धि हेतु परिवहन कार्य की निर्दिष्ट कालावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई विचार नहीं होगा।

21. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit)

(i) सफल निविदादाता को दरें अनुमोदन का पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा जावेगा एवं रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने की दिनांक से 07 दिवस में स्वयं के खर्चे पर एक करार रू **1000/—** के नॉन ज्यूडिशियल पेपर पर निष्पादित करना होगा। करार पत्र का प्रारूप निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।

(ii) न्यूनतम दरदाता को 5 लाख रु. की बैंक गारण्टी अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी जो निदेशक RSOS. के पक्ष में देय होगी। बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने पर जमा बयाना राशि वापस कर दी जायेगी।

(iii) प्रतिभूति राशि के रूप में जमा बैंक गारण्टी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture)

प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा।

(i) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ii) जब निविदादाता परिवहन कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(iii) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के लिए मामले में युक्तियुक्त समय पर पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में निदेशक RSOS.का निर्णय अन्तिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा। विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण **(Counter foil)** निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

22. **बयाना राशि का समपहरण (Forfeiture)**
निम्नलिखित मामालो में बयाना राशि को जब्त/समपहृत किया जा सकेगा–
(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार किये जाने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस ले लेता हैं या उसमें उपान्तरण (Modifiacation) करता है।
(ii) यदि वह विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार का निष्पादन नहीं करता है।
(iii) जब वह विहित समय के भीतर प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
(iv) क्रय आदेश देने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करता है, अथवा निविदा शर्तों की पालना करने में असमर्थ रहता है।

23. सफल निविदाकार की स्वीकृत दरें अनुबंध की दिनांक से आगामी 01 वर्ष के लिए स्वीकृत की जावेगी। इस अवधि को आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

24. निविदा को न्यूनतम दर पर स्वीकृत किया जायेगा। विभाग गुणावगुण के आधार पर न्यूनतम दर से भिन्न अन्य उच्च दर पर कार्य करवा सकता है।

यह कार्य किसी एक निविदाकार अथवा एक से अधिक निविदाकार को स्वीकृत करने का अधिकार विभाग के पास आरक्षित रहेगा।

25. परिवहनकर्ता के वाहन के नियमानुसार परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त परमिट रोड टैक्स भुगतान प्रमाण पत्र एवं वाहन बीमा आदि पूर्ण होना आवश्यक हैं। अपूर्णता की स्थिति में सामग्री के परिवहन में हुए विलम्ब के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

26. राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित भार क्षमता के अनुरूप सामग्री की लोडिंग की जावेगी। निर्धारित क्षमता से अधिक सामग्री की लोडिंग करने पर अतिरिक्त परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

27. ट्रक के साथ त्रिपाल, रस्से एवं मजदूर आदि की समस्त व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। सामग्री ट्रक में क्षतिग्रस्त हो जाने पर **पुस्तक में लागत के अनुसार कटौती एवं पेनल्टी (जो निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर द्वारा निर्धारित की जावेगी) देय भुगतान** से की जावेगी।

28. समस्त कानूनी कार्यवाही के लिए न्याय क्षेत्र मुख्यालय जयपुर होगा।

29. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा एवं इसे निविदादाता निविदा की क्वालिफाइंग बिड में आवश्यक रूप से संलग्न करेगा।

30. किसी भी निविदादाता की निविदा को स्वीकार करना अथवा नहीं करने का अधिकार निदेशक, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर को होगा।
31. निविदा स्वयं वाहनों के मालिक/अनुभवी परिवहनकर्त्ता अधिकृत प्रतिनिधि जिसके पास लिखित में वाहन मालिक द्वारा देय अधिकार पत्र होगा, के द्वारा भरी जानी चाहिए।
32. निविदादाता को दिया गया कॉन्ट्रेक्ट अहस्तान्तरणीय होगा और किसी को भी इस बाबत उप कॉन्ट्रैक्टर (Sub Contractor) नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी भी स्तर पर ऐसा होना पाया गया तो अमानत राशि/धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
33. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।

34. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अध्यक्ष, निष्पादक मण्डल, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।
35. उक्त शर्तो के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय लेखा नियमों में निर्धारित अन्य शर्ते एवं प्रावधान भी निविदादाता को मान्य होगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता फर्म का नाम ....

पता ....

....

टेलीफोन नं. ....

मोबाईल नं. ....

फैक्स नं. ....

ई–मेल ....

<u>निविदादाता द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने पाठ्यसामग्री एवं अन्य सामग्री के परिवहन कार्य के लिए फर्म मैसर्स ....के नाम से निविदा दी है उनका/उनके मैं/हम निजी स्वामित्व का अधिकार रखता हूँ/रखते हैं इसका सक्षम विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

(राज्य सरकार का स्वयंपाठी शिक्षार्थियों का बोर्ड)

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

फोन : 2700425 फैक्स : 0141 – 2705067

निविदा प्रपत्र का मूल्यः 400 रु.

अमानत राशिः 60,000 रु.

निविदा संख्या————————————— दिनांक————————
निविदा शुल्क रु. —————— रसीद नं.————— दिनांक————
निविदा प्राप्ति का अंतिम दिनांक —————— समय———————

क्रमांक प.19 (13)/आरएसओएस./जय/परिवहन/2014–15

निविदा प्रपत्र

वर्ष 2014–15 में राजस्थान राज्य के समस्त जिलों में स्थित संदर्भ केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों पर अध्ययन सामग्री व उत्तरपुस्तिकाएं पहुंचानें के लिए परिवहन।

1.	परिवहनकर्ता/फर्म का नाम			
2.	फर्म का पूरा पता			
3.	प्रोपराइट का नाम व पता आयकर पैन नम्बर (कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)			
4.	सेवा कर नम्बर (Service Tax No.) (प्रति संलग्न करें)			
5.	टेलिफोन नम्बर, मोबाईल नम्बर, फैक्स नम्बर,	1		
		2		
		3		
6.	पंजीकरण क्रमांक व दिनांक (सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें)			
7.	भागीदारी का नाम व पूर्ण पता एवं पार्टनरशिप डीड (यदि फर्म में भागीदारी है)			
8.	परिवहन हेतु वाहनों का पूर्ण विवरण (प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)	स्वयं के वाहनों की संख्या (ट्रक नम्बर अंकित करें)		
		अनुबंधित वाहनों की संख्या (ट्रक नम्बर अंकित करें एवं अनुबन्ध का प्रमाण पत्र संलग्न करें)		
8.	अमानत राशि 60000रु. का विवरण			

1. पाठ्यसामग्री,, उत्तर–पुस्तिकाऐं एवं अन्य पाठ्य सामग्री, मजबूत पॉलिपैक में पैक करने के पश्चात् परिवहन (मय मजदूरी) की दरें समस्त कर सहित निम्नानुसार प्रस्तुत करें।
2. गत तीन वित्तीय वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट (वर्ष 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14) निविदा के साथ संलग्न करनी आवश्यक है।
3. गत तीन वित्तीय वर्षों की आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करें।

क्र. सं.	जिले का नाम	संदर्भ केन्द्रों की संख्या	परीक्षा केन्द्रों की संख्या (अनुमानित)	अनुमानित वजन (किलो ग्राम में)	पाठ्य सामग्री भिजवानें की दर प्रति किलोग्राम (समस्त कर सहित) रु. अंको में	रु. शब्दों में
1.	NIOS. नोएडा दिल्ली के गोदाम से RSOS. जयपुर के गोदाम तक			8450		
2	अजमेर	21	26	38426		
3.	अलवर	19	03	4936		
4.	बाँसवाड़ा	10	05	7444		
5.	बाड़मेर	12	10	15875		
6.	भरतपुर	11	01	332		
7.	भीलवाड़ा	35	41	51927		
8.	बीकानेर	11	05	5721		
9.	बून्दी	6	07	8563		
10.	चित्तौड़गढ़	24	32	41932		
11.	चूरू	8	03	2883		
12.	डूंगरपुर	14	16	22879		
13.	जयपुर	50	18	23797		
14.	जैसलमेर	5	02	2246		
15.	जालौर	11	07	9649		
16.	झुंझुंनू	7	01	413		
17.	झालावाड़	10	09	11025		
18.	जोधपुर	14	03	6019		
19.	कोटा	13	02	4639		
20.	नागौर	14	05	5000		
21.	पाली	17	20	35222		
22.	सवाईमाधोपुर	8	03	4345		
23.	सीकर	9	02	1685		
24.	सिरोही	19	19	27001		
25.	श्रीगंगानगर	12	05	7599		
26.	टोंक	10	06	7415		
27.	उदयपुर	25	30	47061		
28.	धौलपुर	6	00	5		
29.	दौसा	14	05	7145		
30.	बारां	10	05	4691		
31.	राजसमन्द	13	15	23553		
32.	हनुमानगढ़	5	01	1250		
33.	करौली	7	02	2405		
34.	प्रतापगढ़	10	10	19317		

नोटः– **1. उक्त वर्णित वजन में कमी/वृद्धि हो सकती है।**
2. निविदादाता को सभी जिलों हेतु दरें प्रस्तुत करनी होगी तथा L 1 का निर्धारण जिलेवार होगा।

(3) ऊपर वर्णित सामग्री RSOS. से प्राप्त करने के पश्चात उन्हें मजबूत पॉलीपैक के बोरो में पैक करना होगा।

(4) पैक की हुई सामग्री निर्देशित स्थानों पर, परिवहनकर्ता द्वारा प्राप्त करने की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में गन्तव्य तक पहुंचानी होगी।

(5) स्टेट ओपन स्कूल द्वारा भिजवायी गयी समस्त सामग्रियों की प्राप्ति रसीद 3 प्रतियों में संबंधित केन्द्र के संस्था प्रधान / परीक्षा प्रभारी के हस्ताक्षर मय मोहर व दिनांक सहित RSOS.कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

(6) परिवहनकर्ता को प्राप्ति रसीद की प्रतियां (नमूना सहित) RSOS. द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) उक्त दरों में पोली पैक का व्यय,पैंकिग सामग्री, व पैंकिग कार्य, मजदूरी (लोडिंग / अनलोडिंग व्यय), कर आदि परिवहन व्यय में सम्मिलित होगा।

अर्थात् उक्त दरों के अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर...

पता...

<u>इकरारनामा</u>

यह इकरारनामा दिनांक .... को एक ओर RSOS जयपुर जरिये निदेशक RSOS. जयपुर इस प्रलेख में प्रथम पक्षकार (प्रबन्धक) कहा गया है एवं दूसरी ओर मैसर्स .... जरिए मालिक/भागीदार/अधिकृत प्रतिनिधि श्री..श्री उम्र .... निवासी .... जिसे इस प्रलेख में आगे द्वितीय पक्षकार/परिवहनकर्ता कहा गया है, के मध्य निम्न वर्णित शर्तों/प्रावधानों के अध्ययन संपन्न हुआ है।

अतः RSOS. ने निविदा सूचना दिनांक.............. पाठ्यसामग्री एवं उत्तर पुस्तिकाओं के जिले के संदर्भ केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों तक परिवहन हेतु दिनांक .... को केन्द्र पर मध्यान्ह् .... बजे तक निविदाए आमंत्रित की थी ओर परिवहनकर्ता फर्म श्री .... ने इस कार्य हेतु अपनी निविदा प्रस्तुत की तथा उनकी दर वित्तीय वाली के अनुसार निर्धारित संदर्भ केन्द्रों/परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने बाबत् अनुमोदित किया गया है जो इस अनुबन्ध का पार्ट है। (संलग्न प्रपत्र 'अ')

यह इकरारनामा साक्षी है और उभयपक्ष निम्नांकित शर्तों को स्वीकार करते है।

1. यह कि द्वितीय पक्ष, जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है, समस्त संदर्भ केन्द्रों एवं परीक्षा केन्द्रों पर पाठ्यपुस्तकों एवं उत्तरपुस्तिकाओं का परिवहन अपने वाहनों द्वारा करेगा एवं परिवहनकर्ता यह परिवहन ठेका किसी अन्य ट्रॉन्सपोर्टर एजेन्ट या फर्म को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा पाया जाएगा तो अनुबन्ध निरस्त कर परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
2. यह कि संपूर्ण परिवहन कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। अर्थात् पाठ्यसामग्री एवं उत्तरपुस्तिका प्राप्ति के 15 दिन की अवधि में करना होगा।
3. यह कि निविदा प्रपत्र मय निविदा की शर्तें जिस पर परिवहनकर्ता द्वारा अपनी दर दी गई है वह इस अनुबन्ध का पार्ट है तथा समस्त कार्य के निष्पादन हेतु यह वैद्य एवं मान्य होंगी।
4. यह कि परिवहनकर्ता द्वारा जमा प्रतिभूति राशि रूपये .... जो रसीद संख्या............... दिनांक .... रूपये................. से जमा कराई है यह राशि संतोषप्रद कार्य समाप्ति उपरान्त लौटाई जायेगी। कार्य को निर्धारित अवधि में भली प्रकार पूर्ण करने में असफल रहने पर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी एवं RSOS. को होने वाली हानि की पूर्ति संबंधित परिवहनकर्ता से की जाएगी। इस संबंध में निदेशक RSOS. का निर्णय अंतिम होगा।
5. यह है कि परिवहन ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल पर पैन नं. अंकित होना आवश्यक है। पैन नं. के अभाव में परिवहनकर्ता के बिल से नियमानुसार 20% आयकर की कटौती की जायेगी।
6. यह कि इकरारनामें व अनुबन्ध के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर शहर होगा।
7. विलम्ब के लिए निम्नानुसार लिक्विडेटैड डेमेजेज भी वसूल किया जायेगा।
   1. निर्धारित अवधि में चौथाई अवधि तक विलम्ब होने पर 2.5 प्रतिशत।
   2. चौथाई अवधि से अधिक तथा अधी अवधि तक विलम्ब होन पर 5 प्रतिशत
   3. आधी अवधि से तीन चौथाई अवधि तक विलम्ब होन पर 7.5 प्रतिशत
   4. तीन चौथाई अवधि से निर्धारित अवधि के बराबर तथा अधिक होने पर अधिकतम 10 प्रतिशत।
8. निविदा में वर्णित शर्ते जो इस इकरारनामे के साथ संलग्न है, इस इकरारनामे का अंग मानी जायेगी और इकरारनामा करने वाले पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगी।
9. परस्पर सहमति के द्वारा इकरारनामें को आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

10. **भुगतान की शर्ते –**

क. परिवहन कार्य पूर्ण हो जाने पर निविदादाता 5 दिवस में अपने परिवहन कार्य के बिल एवं बिल्टियां मय सामग्री प्राप्ति रसीद जिसमें संदर्भ केन्द्र प्रभारी/परीक्षा केन्द्र प्रभारी का पदनाम एवं सील दिनांक सहित अंकित हो 3 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। सामग्री सही/समुचित रूप से पहुंचाने की संतुष्टि के पश्चात् ही बिलों का भुगतान किया जायेगा।

ख. कार्य सन्तोषप्रद ढंग से पूर्ण होने पर सामग्री की प्राप्ति रसीद निविदादाता द्वारा बिल के साथ प्रस्तुत करने पर 80 प्रतिशत भुगतान कर दिया जायेगा। तथा शेष 20 प्रतिशत भुगतान कार्य पूर्ण होने पर किया जाऐगा। निविदादाता के भुगतान से स्त्रोत पर आयकर की कटौती आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिल पर की जाऐगी। बिल पर पेन नम्बर अंकित नहीं होने एवं पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न नहीं होने की दशा में 20% आयकर की कटौती कर ली जाऐगी।

अतः यह इकारारनामा दोनों पक्षकारों ने अपने होश–हवाश में बिना किसी दवाब के सुनकर पढ़कर लिख दिया है व हस्ताक्षर किये हैं ताकि सनद् रहे व वक्त काम आए।

प्रथम पक्ष निदेशक राज. स्टेट ओपन स्कूल जयपुर ———————————————— 1. .... 2. .... गवाह– 1. 2.		द्वितीय पक्ष मैसर्स .... पता .... 1 .... 2 .... गवाह– 1. 2.